# भारतीय समाज में किन्नरों की शैक्षिक एवं सामाजिक अपवंचन की दशा एवं दिशा

अभिषेक श्रीवास्तव*

*प्राचीन काल में किन्नरों को समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था। इन्हें ब्रह्माजी की छाया से उत्पन्न माना जाता है। 'महाभारत' में भी शिखंडी नामक किन्नर का उल्लेख मिलता है। भारत में किन्नरों की विस्तृत शृंखला हिजड़ा, अरविनी, कोठी, जोगाट, एवं शिवभक्त आदि के रूप में है। वर्तमान समय में इनकी आजीविका का प्रमुख साधन मांगलिक अवसरों पर नृत्य-संगीत, भीख माँगने तक ही सीमित रह गया है। जिसका प्रमुख कारण सामाजिक एवं शैक्षिक अपवंचन ही है। वर्तमान समय में किन्नर समुदाय को विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जिनमें सार्वजनिक स्थलों पर विश्रामालय एवं शौचालयों का अभाव सबसे बड़ी समस्या है, जो उनके उपहास का कारण भी बन जाता है। शैक्षिक रूप से इन्हें विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्राप्त न होना आदि भी है। किन्नरों की इस दयनीय दशा को दूर करने के लिए 15 अप्रैल, 2014 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फ़ैसला लिया। जिसके बाद किन्नरों को अपवंचित वर्ग में शामिल करते हुए तीसरे लिंग का दर्जा प्रदान किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम — 2009 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ प्राप्त हो गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों से किन्नरों को पूरे भारतवर्ष में चिकित्सकीय, सामाजिक एवं शैक्षिक लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। भारत सरकार द्वारा पारित ट्रांसजेंडर बिल, 2016 एवं राज्य सरकारों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार का प्रयास किया जा रहा है। इसके उपरांत भी वर्तमान भारतीय समाज में तीसरे लिंग, किन्नरों के प्रति पर्याप्त भिन्नता प्राप्त है। अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता का अधिकार किन्नरों को यह अधिकार प्रदान करता है कि लिंग के आधार पर भिन्नता नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 21 में वर्णित शिक्षा का अधिकार भी उन्हें समान रूप से प्राप्त है। परंतु किन्नरों के सामाजिक अपवंचन के कारण उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सका है। सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ आज भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहुँच से दूर हैं। ऐसे में सरकार, समाज, परिवार, शिक्षकों आदि को मिलकर इस दिशा में सार्थक प्रयास करना पड़ेगा, जिससे उनको मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किन्नरों की वास्तविक परिभाषा ही किसी को ज्ञात नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किन्नरों के अपवंचन को दूर कर सकता है एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकता है।*

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर* (बी.एड.), अवधूत भगवान राम पी. जी. कॉलेज, अनपरा-सोनभद्र, वाराणसी 321225

## प्रस्तावना

प्राचीन काल में किन्नरों को समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था। प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्माजी की छाया से मानी जाती है। महाभारत काल में भी शिखंडी नामक किन्नर का उल्लेख मिलता है। सन् 1871 से पहले किन्नरों को *ट्रांसजेंडर* के रूप में पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, परंतु सन् 1871 में किन्नरों को *क्रिमिनल ट्राइब्स* अर्थात् 'जरायम पेशा जनजाति' के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। वर्तमान समय में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कानूनी रूप से यहाँ रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। भारत सरकार ने किन्नरों को सन् 1951 में *क्रिमिनल ट्राइब्स* से बाहर निकाल दिया, परंतु किन्नरों की कोई लैगिंक पहचान न होने के कारण उन्हें अपमान, अनादर एवं समाज की मुख्यधारा से वंचित होते हुए शिक्षा से भी वंचित होना पड़ता था। जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 4.9 लाख तीसरे लिंग के नागरिक हैं, जो वर्तमान में भी सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से अति पिछड़े हुए हैं। वर्तमान में किन्नरों का कार्य मांगलिक कार्यों में नृत्य, संगीत प्रस्तुत करने तथा भीख माँगने तक ही सीमित है, जो इनके शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। जबकि भारत सरकार द्वारा उन्हें समस्त स्कूलों एवं कॉलेजों में तीसरे लिंग के रूप में समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों में प्रतिभागिता हेतु समान अवसर प्रदान किए गए हैं। सरकार द्वारा 25 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान है। परंतु वर्तमान में भी 'किन्नर शिक्षा' रोज़गार की मुख्यधारा से वंचित है।

वर्तमान समय में भारत ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास यात्राएँ की हैं एवं सामाजिक ताने-बाने, रहन-सहन, शिक्षा व आर्थिक परिस्थितियों में सकारात्मक वृद्धि अर्जित की है। परंतु आज भी समाज के सभी तबकों का विकास समान रूप से नहीं हो पाया है। विकास की इस प्रक्रिया में तीसरे लिंग का समुदाय (किन्नर) आज भी हाशिये पर ही खड़ा है। राजेश और नावेद (2013) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "किन्नर समुदाय, देश का ऐसा कमजोर समुदाय है, जो मानव विकास में अनेक कारणों से पीछे रह गया है।" सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आरक्षण एवं शिक्षा के अधिकार आदि अधिनियमों के बावजूद भी असमानता की भयावह स्थिति बनी हुई है। किन्नर समुदाय की अधिकांश आबादी आज भी समाज की मुख्यधारा से दूर खड़ी अपने विकास हेतु कातर नज़रों से सरकार एवं सभ्य समाज की ओर टकटकी लगाए देख रही है। जबकि सभ्य समाज उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने से अपवंचित रखता है। किन्नर समुदाय के प्रति विद्यालय एवं शिक्षकों की उदासीनता के साथ-साथ गरीबी, भेदभाव, लैंगिक हिंसा आदि ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं, जिन्हें किन्नरों के पिछड़ेपन के लिए ज़िम्मेदार माना जा सकता है।

प्राय: किन्नर समुदाय को दैनिक जीवन हेतु संघर्ष करना पड़ता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, जैसे— स्कूल/कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं, रोज़गार आदि में उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन वे सामाजिक उपहास को झेलते हुए अपमान एवं कलंक के उच्च स्तर का सामना करते

हैं। जिससे उनके अंदर आत्मसम्मान, स्वत्व-बोध एवं सामाजिक ज़िम्मेदारियों की भावना का विकास नहीं होने पाता एवं वे हीनभावना से ग्रसित हो जाते हैं। आज आवश्यकता है कि किन्नर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाए और सभी स्तरों पर उनके शोषण को खत्म करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

भारतवर्ष में इनकी विस्तृत शृंखला है। इनकी पहचान हिजड़ा, अरविनी, कोठी, जोगाट एवं शिव भक्त आदि के रूपों में की जाती है। जिन्हें प्राचीन भारत में अति श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त था। हिजड़ा एक फ़ारसी शब्द है, जिसका प्रयोग भारत में किन्नर समुदाय के लिए प्रमुखता से किया जाता है। अरविनी शब्द का प्रयोग ऐसे किन्नरों के लिए किया जाता है, जो पुरुष से महिला लिंग पुन:संयोजन शल्यक्रिया द्वारा धारण करते हैं। कोठी शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है, जो समान लिंगी मैथून में मादा/नर की भूमिका का निर्वहन करते हैं और वेशभूषा एवं आचार-व्यवहार भी वैसा ही करते हैं। अरविनी, जोगाट/जोगप्पा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में होते थे। जो पुरुष लिंग से महिला में परिवर्तित हो जाते थे एवं स्वयं का जीवन एक विशेष देवता येलम्मा की सेवा में समर्पित कर देते थे। आंध्र प्रदेश में ये शिव भक्त के रूप में जाने जाते थे, ये ऐसे पुरुष होते थे जो भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार कर लेते थे एवं पुजारी व ज्योतिषी के रूप में प्रतिष्ठित रहते थे। सत् शिवम् (2012) ने हिजड़ों को परिभाषित करते हुए कहा है कि "किन्नर किसी भी उम्र या लिंग के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विशेषताओं या रूढ़िवादी मान्यताओं से अलग है कि कैसे पुरुष या स्त्री की मान्यता प्रदान की जाए।" आदिकाल से किन्नर संसार की समस्त मानव सभ्यताओं की जातियों एवं वर्गों में विद्यमान रहे हैं। राज कुमार (2016) ने कहा कि व्यापक रूप में इन्हें 'लिंग से परे' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

### वर्तमान शैक्षिक एवं सामाजिक दशा

भारतीय संविधान ने हाल ही में किन्नरों को तीसरे लिंग की मान्यता प्रदान की है। नयी लैंगिक मान्यता के बावजूद आज भी किन्नरों की एक बड़ी आबादी सामाजिक भागीदारी से वंचित है। संवैधानिक एवं कानूनी समानता की गारंटी के बाद भी भारतीय समाज इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक स्थानों की पहुँच से दूर रखे हुए है। भारत में किन्नरों हेतु औपचारिक शिक्षा व्यवस्था प्रचलित नहीं है। ये विद्यालय एवं अपने परिवार के वातावरण में अपने को अपवंचित ही पाते हैं, जो इनकी शिक्षा, रोज़गार एवं भविष्य के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि किन्नर समाज में सबसे अधिक अशिक्षित एवं वंचित हैं। किन्नरों की औसत शैक्षिक योग्यता मैट्रिक ही है। किन्नरों के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की दर काफ़ी कम एवं विद्यालय छोड़ने वालों की दर काफ़ी अधिक है, जिसके कारण किन्नर बहुत ही मुश्किल से ही शिक्षित हो पाते हैं। समाज से वंचित होने के कारण शैक्षिक संस्थाओं में उत्पीड़न का सामना करते हैं जो इन्हें विद्यालय छोड़ने पर मजबूर कर देता है। जिसके कारण किन्नर भीख माँगने के लिए विवश हो जाते हैं। सरकार को चाहिए कि वह किन्नरों की सामाजिक

स्थिति को देखते हुए समावेशी एवं प्रौढ़ शिक्षा अनिवार्य रूप से संचालित करे। इन असमानताओं के बावजूद बहुत से किन्नर भारत में उच्च पदों पर भी प्रतिष्ठित हैं। मनाबी बंदोउपाध्याय पश्चिम बंगाल में एक सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं और अमृता अल्पेश सोनी भारतीय एड्स कंट्रोल बोर्ड में पंजाब, हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए वकील अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

भारत के कुछ राज्य सरकारों ने किन्नरों के विकास के लिए कार्य करने की शुरुआत कर दी है। जिसमें तमिलनाडु एक ऐसा इकलौता राज्य है, जिसने किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने की योजना प्रारंभ की है। इस योजना का नाम अरविनी वेलफ़ेयर पॉलिसी है। इसके अंतर्गत वे सरकारी अस्पतालों में पुरुष से महिला बनने की शल्य चिकित्सा मुफ़्त प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ आवास एवं उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी है। यह 2008 में *ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड* की स्थापना करने वाला पहला राज्य है, जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों एवं आय सृजित करने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। मार्च 2009 में तमिलनाडु सरकार ने किन्नरों के लिए 'मानुश' के नाम से *हेल्पलाइन* की भी शुरुआत की। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक वेलफ़ेयर योजना के तहत लगभग 3000 किन्नरों को नशा मुक्त सशक्त बनाने का कार्य किया। त्रिपुरा किन्नरों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रतिमाह ₹ 500 की सहयोग राशि उपलब्ध करा रहा है। 1 अक्तूबर, 2015 को पश्चिम बंगाल सरकार ने किन्नरों के प्रति भेदभाव समाप्त करने के लिए सिविक पुलिस स्वयं सेवी बल में किन्नरों को भर्ती करने का अनुमोदन भी प्रदान किया। किन्नरों के सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख इस प्रकार है —

1. ***उच्चतम न्यायालय फ़ैसला***

   15 अप्रैल, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने 'नेशनल लिगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ़ इंडिया एंड अदर्स (ना.ल.सा.)' की सुनवाई करते हुए किन्नर समुदाय के पक्ष में एक अहम फ़ैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेते वक्त या नौकरी देते वक्त ट्रांसजेंडर की पहचान तीसरे लिंग के रूप में की जाए। किन्नरों या तीसरे लिंग की पहचान के लिए कोई कानून न होने की वजह से उनके साथ शिक्षा या नौकरी के क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह पहली बार हुआ है कि जब तीसरे लिंग को औपचारिक रूप से पहचान मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तीसरे लिंग को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के अंतर्गत माना जाएगा तथा इन्हें शिक्षा और नौकरी में ओ.बी.सी. के तौर पर आरक्षण प्रदान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि तीसरे जेंडर वाली कम्युनिटी के सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएँ चलाई जाएँ और उनके प्रति समाज में हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएँ। इनके लिए *स्पेशल पब्लिक टॉइलेट* बनाए जाएँ और साथ ही उनके स्वास्थ्य से जुड़े

मामलों को देखने के लिए स्पेशल विभाग बनाए जाएँ। अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करवाता है तो उसे उसके नये लिंग की पहचान मिलेगी और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय का यह ऐतिहासिक फ़ैसला निश्चित ही किन्नरों के शैक्षिक एवं सामाजिक समानता के विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा।

**2.** ***आर. टी. ई. एक्ट, 2009***

भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक अपने आस-पास के विद्यालय में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो आर. टी. ई. अधिनियम, 2009 के भाग 3 (1) में वर्णित है। साथ ही साथ निजी विद्यालयों में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक एवं लैंगिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के नेशनल लिगल सर्विस अथॉरिटी पर फ़ैसले के बाद तृतीय लिंग के सभी विद्यार्थी भी उक्त श्रेणी में आ गए हैं। उक्त अधिनियम के अनुपालन में दिल्ली के राज्यपाल ने आर.टी.ई एक्ट, 2009 (35) को ध्यान में रखते हुए ट्रांसजेंडर बालक को डिसएडवांटेज ग्रुप में मानते हुए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया है, जिसका सीधा लाभ किन्नर बालकों को मिलना सुनिश्चित हो गया है।

**3.** ***सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयास***

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्थान एवं विकास के लिए अनेक प्रयास एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। 23 अगस्त, 2013, 6 नवम्बर, 2013, 29 नवम्बर, 2013 व 3 जनवरी, 2014 को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने राज्य सरकार, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों एवं विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसरों के साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक कलंक, विभेद, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य एवं रोज़गार की संभावनाओं की तलाश के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया, जिसमें राज्य सरकारों एवं विद्वानों से सुझाव प्राप्त हुए। सुझावों के आधार पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का कार्य निर्धारण किया गया। जो निम्न है—

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, जो विभिन्न मंत्रालयों, एजेंसियों व राज्य सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करेगी।
- सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, हाउसिंग एंड अरबन पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल डिवेलपमेंट,

लेबर एंड इंपावरमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल सर्विस मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं ट्रांसजेंडर के प्रतिनिधियों के साथ अंतर मंत्रालय समिति की स्थापना करना जो समेकित रूप से ट्रांसजेंडर कल्याण का कार्य संपादित करेगी।

- राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद् का गठन राष्ट्रीय परिषद् के समरूप करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जनसंख्या की गणना एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाकर स्थितियों में अपेक्षित सुधार करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अम्ब्रेला योजना आरंभ करना, जिसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भाँति छात्रवृत्ति, स्वरोज़गार हेतु लोन पर 25 प्रतिशत की छूट, 40 से 60 वर्ष के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पेंशन एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कार्यरत संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों के प्रति समाज में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए प्रचार-प्रसार करना।

**4. द *ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन राइट) बिल, 2016***

20 जुलाई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'द ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन राइट) बिल, 2016' पारित किया गया, जिसकी मुख्य बातें निम्न हैं—

- तृतीय लिंग को परिभाषित करना।
- तृतीय लिंगीय व्यक्तियों के भेदभाव पर रोक लगाना।
- स्वयं की पहचान का अधिकार।
- तृतीय लिंगीय व्यक्तियों को पहचान पत्र प्रदान करना।
- शिक्षा, रोज़गार, नियुक्तियों व पदोन्नति में भेदभाव को रोकना।
- नेशनल काउंसिल ऑफ़ ट्रांसजेंडर की स्थापना करना।
- अवमानना करने वालों के लिए दंड का प्रावधान।

**5. *विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयास***

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने तीसरे लिंग के उत्थान के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। केरल सरकार ने 12 से 14 नवंबर (2015) के मध्य लैगिंक समानता विषय पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। जिसमें देश की पहली ट्रांसजेंडर नीति की घोषणा की गई। ट्रांसजेंडर नीति की मुख्य बातें निम्न हैं—

- ट्रांसजेंडर बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करने के लिए विशेष परामर्श और अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ देने का प्रावधान।
- धारा 375 में बदलाव करते हुए महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर को भी अब यौन अपराधों से पीड़ित मानने का प्रावधान।

- प्रत्येक ज़िले में 'ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड' का गठन किया जाए एवं उसमें एन.जी.ओ. की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा कम-से-कम पाँच व्यक्ति ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य होने का प्रावधान।
- शिक्षण संस्थानों में बदलाव—राज्य के समस्त शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में लैगिंक भेदभाव को रोकने के लिए इकाइयाँ बनाने, जिसमें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रावधान।
- 24 घंटे ट्रांसजेंडर हेल्पलाईन प्रारंभ करने का प्रावधान।
- इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए प्रावधान।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करने का प्रावधान।
- पचपन वर्ष से अधिक उम्र के निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पेंशन एवं स्वरोज़गार के लिए अनुदान देने का प्रावधान।

आंध्र प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, इसके अंतर्गत प्रतिमाह ₹ 1000 पेंशन एवं मकान दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान ट्रांसजेंडर बोर्ड' का गठन किया, जिसमें यह फ़ैसला लिया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकार अलग से एक प्रमाण-पत्र जारी करेगी जो समस्त सरकारी लाभों के लिए मान्य होगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नाम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे। इनके लिए अलग से हॉस्टल एवं सरकारी योजनाएँ चलाई जाएँगी। मध्यप्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया तथा इन्हें पिछड़े वर्ग के समान छात्रवृत्ति एवं आरक्षण देने का प्रावधान किया। श्री/श्रीमती के तर्ज़ पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नाम से पहले 'कि' लगाने का प्रस्ताव दिया गया और साथ ही साथ किन्नरों के लिए विशेष शौचालय बनवाने का प्रावधान किया गया। 2 अक्तूबर, 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा देश के पहले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के शौचालय का उद्घाटन किया गया। ओडिशा सरकार ने तृतीय प्रकृति सुरक्षा अभियान नामक योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत यह घोषणा की गई कि तृतीय लिंग के विद्यार्थी को 10 महीने के हॉस्टल बोर्ड के लिए ₹ 12000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 200 घंटे के पाठ्यक्रम के लिए ₹ 15000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तीसरे लिंग के बच्चों के माता-पिता को ₹ 1000 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे यह प्रयास अभी वास्तविकता में दिखाई नहीं देते हैं, परंतु यह उम्मीद की जा सकती है कि उक्त प्रयास निश्चित ही सामाजिक समता का आधुनिक अध्याय लिखने में सक्षम होंगे।

## किन्नर शिक्षा की चुनौतियाँ

किन्नरों का तीसरे लिंग के रूप में नामकरण स्वयं में एक बड़ी समस्या है, जो इन्हें प्रचलित लिंग स्त्री या पुरुष से भिन्न करता है तथा एक परित्यक्त

समुदाय के रूप में चिह्नित करता है। समाज वर्तमान में भी इन्हें मुख्यधारा से दूर किए हुए है, परंतु यह सुखद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों को शिक्षा एवं रोज़गार में समानता प्रदान करते हुए इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में स्थान दिया है, साथ ही साथ सरकार को यह सुझाव भी प्रदान किया है कि वे तीसरे लिंग को सामाजिक उत्पीड़न से मुक्त करने हेतु सामाजिक जागरूकता अभियान चलाते हुए कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करे एवं तीसरे लिंग के लिए अलग से शौचालयों एवं चिकित्सकीय सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन इसका लाभ किन्नरों को तभी प्राप्त होगा, जब इन्हें सामाजिक रूप से समान होने की मान्यता मिले एवं इनका शैक्षिक विकास भी सामान्य रूप से होने लगे। किन्नरों के शैक्षिक विकास की प्रमुख चुनौतियों का विवरण इस प्रकार है—

1. **विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में असमान अवसर**—विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि स्त्री; पुरुष एवं स्त्री-पुरुष विद्यार्थियों के साथ इन्हें शिक्षित करना स्वयं में एक समस्या है। जिसका प्रमुख कारण सामाजिक अस्वीकार्यता है।
2. **पृथक विद्यालयों का अभाव**—किन्नरों के लिए अलग से बालक, बालिका विद्यालय के समान किन्नर विद्यालय नहीं हैं, जिससे किन्नर स्वतंत्र होकर शैक्षिक क्रियाकलाप नहीं कर पाते।
3. **अपमानजनक नामों का प्रयोग**—जैविक भिन्नता के आधार पर व्यक्तियों का नामकरण महिला और पुरुष के रूप में किया जाता है, जिसे सामाजिक दर्जा प्राप्त है। किन्नर कई बार ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें किस नाम से जाना जाता है, जिससे वह अपने को अपमानित महसूस करते हैं, साथ ही साथ उनके लिए विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सामान्य व्यक्तियों द्वारा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग उनके लिए अपमानजनक स्थिति उत्पन्न करता है।
4. **उपयुक्त विश्राम गृहों का अभाव**—समाज हो या कोई भी विद्यालय, विश्राम गृह/कक्ष केवल पुरुषों एवं महिलाओं के लिए ही निर्मित हैं, वहीं किन्नरों के लिए अलग से विश्रामालय का अभाव होता है। ऐसे में किन्नरों के लिए एक बड़ी अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वह किस विश्रामालय एवं शौचालयों का प्रयोग करें। समाज एवं विद्यालयों में विभिन्न लिंगों के लिए विशेष पहनावा निश्चित है एवं उसी के आधार पर उनके लिंग की भी पहचान की जाती है। कई बार किन्नरों द्वारा पुरुष अथवा महिला शौचालयों का प्रयोग उत्पीड़न एवं अपमान का कारण बन जाता है।
5. **आदर्श व्यक्तित्व का अभाव**—किन्नर स्वयं को विद्यालय एवं समाज में अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि उनके जैविक लिंग की समाज अथवा विद्यालयों में न तो आदर्श स्थिति प्राप्त है और न ही उनके पहचान से जुड़े हुए रोचक तथ्य, पुस्तक, सामाजिक क्रियाकलाप हैं। ऐसे में तीसरे लिंग का व्यक्ति समाज में अपनी आदर्श पहचान को प्राप्त करने में विफल हो जाता है।

## सुझाव

विद्यालयों में किन्नरों की स्थिति को सुधारने के लिए निम्नांकित कार्य किए जा सकते हैं—

1. **विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा के समान अवसर**—किन्नरों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके लिए विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों एवं अभिभावकों को प्रमुख भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा एवं साथी विद्यार्थियों में किन्नर विद्यार्थियों के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण का विकास करना पड़ेगा। विद्यालय में किन्नरों के लिए खेल, व्यावसायिक एवं रोज़गारपरक शिक्षा आदि के लिए समान अवसर उत्पन्न कराने होंगे।
2. **पृथक विद्यालयों की रचना**—समाज में महिला एवं पुरुष लिंग के विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत विद्यालयों की स्थापना की गई है। वर्तमान में आवश्यकता है कि किन्नरों के लिए भी व्यक्तिगत विद्यालयों की रचना की जाए, जहाँ वह स्वतंत्र होकर अध्ययन कार्य संपादित कर सकें। प्रौढ़ किन्नरों की अशिक्षा को दूर करने के लिए रात्रि अथवा दिवा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे निश्चित ही विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या समाप्त हो जाएगी एवं साक्षरता स्तर में भी सुधार होगा।
3. **पृथक विश्राम कक्षों एवं शौचालयों का निर्माण**—विद्यालयी उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण किन्नरों के लिए विद्यालयों में विश्राम-कक्ष एवं शौचालयों की पृथक व्यवस्था का न होना है, जिसके कारण किन्नर सदैव उपहास एवं असुविधाओं का सामना करते हैं। विद्यालयों को चाहिए कि वह महिला/पुरुष शौचालयों एवं विश्राम कक्षों की तर्ज पर तीसरे लिंग के लिए भी अलग से इनकी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
4. **आर्थिक सहायता**—समाज की मुख्यधारा से दूरी, रोज़गार के असमान अवसर एवं पारिवारिक उपेक्षाओं के कारण किन्नरों की आर्थिक स्थिति अति दयनीय है। सरकार को चाहिए कि किन्नरों की आर्थिक सहायता करते हुए विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की मुफ़्त व्यवस्था करे। ऐसे में त्रिपुरा एवं तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं।
5. **एन्टि डिसक्रिमिनेशन सेल का गठन**—विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में किन्नरों की सुरक्षा के लिए एन्टि डिसक्रिमिनेशन सेल का गठन किया जाना चाहिए। जिससे किन्नरों के उत्पीड़न में कमी आएगी एवं उनके आत्मविश्वास का भी विकास होगा।
6. **शैक्षिक योजनाओं की पुनर्समीक्षा**—भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली शैक्षिक योजनओं, जैसे—सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जन शिक्षा अभियान, आर. टी. ई. एक्ट, 2009 आदि की ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के शिक्षा के संदर्भ में पुन: समीक्षा करने की आवश्यकता है। जिससे इन योजनाओं को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जा सके।
   - कॉलेज स्तर पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों को पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान करना।

- सामाजिक अपमान, भेदभाव एवं आर्थिक कारणों से विद्यालय छोड़ चुके ट्रांसजेंडर बालकों की पहचान कर उन्हें एवं उनके अभिभावकों की हीनभावना दूर कर फिर से विद्यालय में नामांकित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

## निष्कर्ष

संसार के समस्त प्राणी अद्वितीय एवं प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। किसी लिंग, वर्ग, जाति एवं सामाजिक आधार पर उनमें भिन्नता नहीं की जा सकती। वर्तमान भारतीय समाज में तीसरे लिंग किन्नरों के प्रति पर्याप्त भिन्नता प्राप्त है, जिसका संज्ञान लेते हुए भारतीय संविधान में सभी निवासियों को समानता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता का अधिकार किन्नरों को यह अधिकार प्रदान करता है कि लिंग के आधार पर भिन्नता नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 21 में वर्णित शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। परंतु किन्नरों के सामाजिक अपवंचन के कारण उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सका है। सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ आज भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहुँच से दूर हैं। ऐसे में सरकार, समाज, परिवार, शिक्षकों आदि को मिलकर इस दिशा में सार्थक प्रयास करना पड़ेगा। जिससे उनको मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किन्नरों की वास्तविक परिभाषा ही किसी को ज्ञात नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किन्नरों के अपवंचन को दूर कर सकता है एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकता है।

## संदर्भ

राजेश और एम.डी. असलम नावेद. 2013. *एप्रोच पैपर ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेलेंजिंग फ़ॉर ट्रांसजेंडर*. मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया.
www.socialjustice.nic.in/pdf/appendix5.

सत्शिवम. 2012. *राइट ऑफ़ ट्रांसजेंडर पीपल, सेन्सटाइज़िंग ऑफ़िसर टू प्रोवाइड एक्सस टू जस्टिस.* http://www.hcmadras.tn.nic.in/jacademy/Article/PSJ -CJO-SPEECH-Royappetah.pdf.

राजकुमार. 2016. एजुकेशन ऑफ़ ट्रांसजेंडर इन इंडिया — स्टेटस एंड चैलेंज. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन इकोनॉमिक एंड सोशल साइंस* (आईजेआरईएसएस). वाल्यूम 6, इश्यू 11, नवंबर 2016, पृ. 3.

सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इंफ़ेक्शन (एसटीआइएस) आर इंफ़ेक्शन दैट आर स्प्रेड प्राइमरीली थ्रू पर्सन टू पर्सन सेक्शुअल कॉन्टेक्ट, दिअर आर मोर दैन डिफ्रेंट 30 सेक्शुअली ट्रांसमिसिबल बैक्टीरिया, वाइरस एंड पैरासाइटस. http://www.who.int/topics/sexually_transmitted_infections/en/

http://www.aksharsamrat.com/news.php?id=3462&title

https://hi.wikipedia.org/wiki/ f'k{kk dk vf/kdkj

http://righttoeducation.in/sites/default/files/Right%20of%20Children%20to%20Free%20and%20 Compulsory%20Education%20Act%202009%20%28Hindi%29.pdf

http://mhupa.gov.in/W_new/EWS_OFFICE_MEMORUNDUM_14_11_2012.pdf

https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/25-seats-reserved-for-transgender-kids-in-Delhi-schools/articleshow/44827072.cms

The Transgender Persons(Protection of Right) Bill 2016, Statement of objective and Reson Page no.8,www.prsindia.org/uploads/medea/transgender/transgendedr-person-bill-2016.pdf

https:// satyagrah.scroll.in/article/21768/kerala_first_state_transgender_policy

www. Human junction.com/transgender

https://aajtak.intoday.in/story/rajasthan-government-added-transgenders-as-third-gender-1-884751.html

http://naidunia.jagran.com/madhya-pradesh/bhopal-three-percent-reservation-for-transgender-in-government-jobs-madhya-pradesh-207672

http://hindi.firstpost.com/india/bhopal-cm-shivraj-inaugurates-first-community-toilet-for-transgender-using-public-toilets-are-problem-for-transgenders-pr-57797.html

http://newsyojana.com/orissa-yojana/odisha-governments-trinity-lighting-security-campaign/3969.php